



### (प्रारूप—“ब”)

समक्षः प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम आत्माराम मुशारका अध्यक्ष एवं ओम प्रकाश पाण्डेय सचिव गनपत सहाय डिग्री कालेज, सुलतानपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

**धारा-1** यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ. गणपत सहाय पी०जी० कालेज, सुलतानपुर का संचालन किया जा रहा है।

ब. गणपत सहाय कालेज ऑफ फार्मसी, सुलतानपुर का संचालन किया जा रहा है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है:-

क्रम संख्या	पता	गांटा संख्या	भूमि का रकवा	भूमि हेक्टेयर में।
1	2	3	4	5
1	पयागीपुर, सुलतानपुर।	331ख्व	0.0150	0.0150हें0
2	पयागीपुर, सुलतानपुर।	343	0.9310	0.9310हें0
3	पयागीपुर, सुलतानपुर।	341मिं0	0.6510	0.6510हें0
4	पयागीपुर, सुलतानपुर।	336	0.2420	0.2420हें0
5	पयागीपुर, सुलतानपुर।	326मिं0	0.1010	0.1010हें0
		5 किला	1.9400	1.9400हें0

धारा-3 यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवृत्ति भूमि का भवान	पता	गांटा संख्या	रकवा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	गनपत सहाय कालेज ऑफ फार्मेसी	पर्सोनल वर्ग सौ० पर्सोनल वर्ग सौ०	पशांगीपुर सखितालकुरा	343	0.9310	0.9310

{1}

(2)

2	गनपत सहाय पी०जी० कालेज	10090 वर्ग मी०	परामीपुर, सुलतानपुर।	331ख. 341मि०, 336, 326मि०,	1.009हे०	1.009हे०
---	---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------	----------	----------

धारा—4 यह कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय ही है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

धारा—5 यह कि उपरोक्त विवरण में लिखित बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् हैः—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाँठा संख्या	कुल रक्षा	कुल भूमि हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	कोई बदलाव नहीं।	—	—	—	—

धारा—6 यह कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा—7 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विलक्षण परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हे० अध्यक्ष

हे० सचिव